FORM No- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा मुकाम खैरथल–तिजारा **उनवान सुरेन्द्र कुमार बनाम सरकार जर्ये** थानाधिकारी कोटकासिम किस्म– **आवश्यक वस्तु अधिनियम** मुकदमा नं0 15/155/2025 दा. दि. 01/10/2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/09/2025	आज यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगार सुरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी बुडला तहसील रेवाडी हाल निवासी गुजरीवास तहसील कोटकासिम द्वारा जरिये अभिभाषक पेश किया। प्रार्थना–पत्र सुपुर्दगी की प्रति थानाधिकारी कोटकासिम पुलिस जिला खैरथल को भिजवाई जाकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो पर बिन्दुवार टिप्पणी/जप्तशुदा पिकअप वाहन संख्या **HR-47-F-3091** एवं पेट्रोल को सुपुर्दगी पर दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने के क्रम में स्पष्ट अभिशंषा मय गोशवारा तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट 0178/2025 की प्रमाणित प्रति/फर्द जप्ती/फर्द सुपुर्दगी की प्रमाणित प्रति के साथ रिपोर्ट तलब की जावे। पत्रावली दिनांक 01.10.2025 को पेश हो। जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा	
1/10/2025	आज दिनांक पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना कोटकासिम से रिपोर्ट तलब की गयी। अपेक्षित रिपोर्ट जरिये पत्रांक 3447 दिनांक 28/9/2025 के द्वारा प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप वाहन संख्या HR47F0391 को निगरानीनामा सुपुर्दगी में दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।	जितेन्द्र

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

— P.T.O. —

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी यदि 5,00,000/- पांच लाख रुपये की तहरीर मय दो जमानतनामा। सुपुर्दगीनामा पेश कर देता है, तो निम्नानुसार शर्तों पर जप्त शुदा वाहन सुपुर्दगार को सुपुर्दगी में दे दिया जावे। सुपुर्दगीदार उक्त वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा। जब भी उक्त वाहन की न्यायालय को आवश्यकता होगी सुपुर्दगीदार उसे लेवें मय उक्त वाहन को न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। आदेशिका लिखे जावें तब वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जमानती मिलेट्र एवं मजदूरी प्राप्ति प्रस्तुत किये। उपरोक्त तहसील कोटकासिम द्वारा तहसीलदार कोटकासिम द्वारा जारी हैसियत प्रमाण-पत्र क्रमांक 19 दिनांक 1/10/2025 की प्रति पेश की गयी है। तथा स्वयं का सुपुर्दगीनामा भी पेश किया गया है। प्रकरण में पेश जमानतनामा मय तहरीर किये जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में जप्त शुदा वाहन संख्या HR 47 F 0391 किसी अन्य प्रकरण में वांछित न होवे तो निम्नानुसार शर्तों पर सुपुर्दगार को सुपुर्दगी में दे दिया जावे। सुपुर्दगीनामा थानाधिकारी के नाम तहरीर जारी हो। चूंकि प्रकरण में जप्त शुदा वाहन को सुपुर्दगी पर छोड़ा जा चुका है अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली नियम अनुसार पूर्ण करके पेशकार की जावक तहरीर बाद तकमील दाखिल दफ्तर रिकार्ड हो।

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल-तिजारा